



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उप्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0445/O.A. No. 454/2024

दिनांक:-

Date: 04.05.2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of status report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 454/2024, Sampurna Nand Vs Maa Shitla Stone (Stone Crusher Unit).


Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 25.04.2024 in the matter of O.A. No. 454/2024, Sampurna Nand Vs Maa Shitla Stone (Stone Crusher Unit), the status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,


(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.


Regional Officer
Sonbhadra.

Status Report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No. 454/2024 Sampurna Nand Versus M/s Maa Shitla Stone (Stone Crusher Unit) & Ors.

1. UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers vide Letter dated-12.01.2024, which was got received to concerned Stone Crusher on dated 19.01.2024 (Annexure-1).
2. The presentation sent by the industry against show-cause notice was received in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra (Annexure-2).
3. UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify complying status of CTO and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

S.NO.	Major Air Pollution Control measures	Installation Status	Remark and Action Taken
1.	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.	Partially Covered	As per inspection report dated 08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after confirmation of show-cause notice and revoking CTO. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry.
2.	Covering of all conveyor belts.	Covered	
3.	Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum	NO	
4.	Wind breaking wall around the premises.	Yes	
5.	Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.	NO	
6.	Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.	NO	
7.	Height of exhaust pipe of DG Set.	NO	

4. Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-3).
5. The presentation of the industry against closure order dated 19.02.2024 has not received.

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 04.05.2024


04/05/2024
(U.K. Gupta)

Regional Officer
U.P.P.C.B
Sonbhadra



1607

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. **405679** 10-2/NGT-67/SCN/24

सेवा में,

दिनांक

Date **22/12/24**

पंजीकृत

M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT),
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग का बोर्ड द्वारा निर्गत पर्यावरण सेवा का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गमित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया में अर्जित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT), VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई का मिलन वाली बिजली आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अविशेषित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सक्षम उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

417
Bankar
19/10/2024
6373579408

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



MAA SHITALA STONE

Cutting | Polishing | Manufacturer & Supplier of Mirzapur Sand Stone | Government Contractor

📍 Sonepur, Ahraura, Chunar Road, Mirzapur - U.P. 📞 9415270072, 9838750580
✉️ maashitalastone@gmail.com 🌐 www.maashitalastone.com

सेवा में,

Date : 30-01-2024

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

विषय: मे० माँ शीतला स्टोन(स्टोन क्रशर युनिट), ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर को जारी कारण बताओ नोटिस संदर्भ संख्या-एच०५६७९/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड मुख्यालय के संदर्भ संख्या-एच०५६७९/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त क्रशर प्लांट का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-२८.१२.२०२३ से दिनांक-३०.१२.२०२३ के मध्य किया गया तथा पाया गया कि उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत समिति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी। तत्क्रम में उद्योग को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ यथासंशोधित की धारा ३१-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

महोदय आपको अवगत कराना है कि उद्योग परिसर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित कर ली गयी हैं। प्रक्रिया उत्सर्जन से होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्पिंकलर एवं एंटी स्मॉग गन स्थापित किया गया है, जिसका नियमित संचालन किया जाता है। उद्योग परिसर के चारों तरफ विण्ड ब्रेकिंग वॉल, टिन शेड से कवर्ड किया जाना एवं ग्रीन बेल्ट का समुचित विकास किया गया है, जिस संबंध में नोटिरियल शपथ-पत्र संलग्न है। उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है तथा अनुपालन आख्या कार्यालय में जमा कराया जाता है।

अतः निवेदन है कि उक्त के दृष्टिगत उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप

करने की कृपा करें।

(Handwritten signature)

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(Handwritten signature)
13/01/2024

भवदीय

(Handwritten signature)

(मिथिलेश सिंह)

प्र० मे० माँ शीतला स्टोन, मीरजापुर

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-२), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ निक्षेप करने की कृपा करें।

(मिथिलेश सिंह)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GS 915702

शपथ-पत्र

समक्ष

क्षेत्रीय अधिकारी

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,

सोनमद्र।

Ticket Rs. 10.00

Ranjeet Singh
Notary - Sonabhadra

मैं मिथिलेश सिंह पुत्र श्री राम चरित्तर सिंह, उम्र 45 वर्ष, ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर(उ०प्र०) का मूल निवासी हूँ। मेसर्स माँ शीतला स्टोन(स्टोन क्रशर युनिट), सोनपुर, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर का प्रोपराइटर हूँ। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच०५६७९/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। निर्गत कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में विन्दुवार प्रति उत्तर निम्नवत है:-

1. Industry has Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers.
 2. Industry has Arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors.
 3. Industry has All opening provided for ventilation in the enclosures covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
 4. Industry has Covering of all belt conveyers.
 5. Industry has Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering and truck loading the product, for controlling 'stone dust' and the reject, 'fine dust'.
 6. Industry has A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall.
 7. Industry has Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipment's and transfer points.
 8. Industry has the metal roads inside the stone crusher premises with arrangement for regular cleaning inside the premises to avoid re-entrainment of settled dust.
- Industry has Regular wetting of the ground through tanker mounted sprinklers/ smog guns within the premises.
- Industry has Dense Green belt along the boundary wall.

कमश:.....२ /पर

(2)

11. Industry has the dust extraction system installed by the stone crushers at dust containment enclosures to extract the accumulated dust fitted with adequate dust control system.
12. Industry has the arrangements to minimize the generation of dust emissions during loading, unloading, handling and storage of raw material / products, waste or byproducts.
13. Industry has Arrangement of Covering while transportation and storage of final product / material.
14. Industry has the stretches of the main highways passing in the vicinity of the stone crushers area are metalled
15. Industry has the approach and link roads in the stone crushers area are metalled.
16. Industry has Quarterly Ambient Air Monitoring through third party.
17. Industry has maintain logbook of consumed electricity for measurement of quantity of water consumption.

महोदय आपसे निवेदन है कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.01.2024 को निरस्त करने की कृपा करें। मेरे द्वारा उपरोक्त क्र0सं0 01 से 17 तक पर दी गयी सूचनाये पूर होशॉहवाश मे दी गयी है तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक-30.01.2024



ह0 शपथग्राही

(मिथिलेश सिंह)

मे0 माँ शीतला स्टोन(स्टोन क्रशर युनिट)
मीरजापुर

From:

M/s Maa Shitala Stone (Stone Crusher Unit),

Village-Sonpur, Bhagwat, Chunar, Mirzapur.

To,

Regional Officer ,

Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)

Sonbhadra, U.P.

Dated: 8/2/2024

Subject : Compliance Response of Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) Under Section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution Act, 1974 And Under Section 21 of The Air (Prevention & Control Of Pollution) Act, 1981.


Respected Sir,


Kindly refer to the above mention subject , I am hereby submitting the Compliance Response of the issued Consent to Operate for Stone Crusher M/s Maa Shitala Stone (Stone Crusher Unit), Village-Sonpur, Bhagwat, Chunar, Mirzapur.

- a) The said industry has established at Arazi No139 Mi, 138 Mi, 135/2Mi and 137, Area-1.140, Village-Sonpur, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar and DistrictMirzapur. The Geo-coordinates of the industry is 25.051633-latitude and 83.002939-longitude.
- b) Stone Crusher has produce stone grits as main product using stone bolder as raw material. It seems that Industry is operational.
- c) The plants and machinery of the industry such as primary jaw crusher, secondary jaw crusher, vibrating screens (waterfall), conveyor belts and ends of conveyor belts have partially covered with tin-shed or metallic sheet.




d) A telescopic suit has installed at the ends of the conveyor belts. Water sprinkling system has installed at grits transfer points of conveyor. Water sprinklers has partially installed at barricading. **Photographs of Telescopic and Sprinklers (112 Water sprinkling system)**








e) Separate energy meter has installed for consumption of electricity used in water sprinkling. Electro-magnetic water flow meter has established at bore-well for measurement of quantity of water consumption. Logbook related to this could put up before committee during visit. **Photographs of Energy meter & Electro-magnetic water flow meter**




f) Barricading of metal sheet and bricks have established as wind-breaking wall around the periphery of the stone crusher. The height of this barricading was approximate 12 feet as per CTO condition. **Photographs of Wing breaking wall metal Sheet and Bricks (14 Feet height)**





g) Industry has planted trees in the premises, which is complying condition imposed in CTO. **Photographs of trees (250 -300 Trees in the premises)**









h) A thick green belt of trees of suitable species able to attain 8-10 feet height on maturity has found developed in multi-lineate staggered manner on a minimum 33% of the land on which the industry is established as per the "Protocol for Development of Green Belt" notified vide Board Office Order No.H16405/220/2018/02 dated. 16.02.2018. In this regards, this direction is available at URL

http://www.uppcb.com/pdf/Green-belt-Guide_160218.pdf. **Photographs of trees and area (more than 1.5 Bigha)**








realme 11 Pro 5G | lonely planet





realme 11 Pro 5G | lonely planet





realme 11 Pro 5G | lonely planet



realme 11 Pro 5G | lonely planet

i) Industry has constructed metallic road inside the premises to reduce the dust emission which generated by vehicular movements. **Photographs of metallic road inside the Crusher Plant**



GPS Map Camera

Sonpur, Uttar Pradesh, India
22X2+P9, Sonpur, Uttar Pradesh 231301, India
Lat 25.047656°
Long 83.000971°
28/01/24 09:55 AM GMT +05:30



j) Industry has established a Diesel generator having capacity of 500 KVA, but not proper working condition and neither used last 4 years, after the electric connection allotted by Electricity Department of Mirzapur.

k) As per Regional Office, UPPCB, Sonbhadra records, The Industry has submitted compliance report on dated 21/11/2023. of conditions imposed in CTO dated 01.08.2022 issued by UPPCB. **Copy of Compliance Report**

Date: 21/11/23

From,

M/S MAA SHITALA STONE(STONE CRUSHER UNIT),
Arazi No. 139MI, 138MI, 135/2MI, 137,
Village- Sonpur, Pargana- Bhagwat,
Tehsil- Chunar, District- Mirzapur

To,


Member Secretary,
Uttar Pradesh Pollution Control Board (U.P.P.C.B.),
Lucknow, U.P.

Subject: Compliance report of Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 issued vide letter No.- 155660/UPPCB/ Sonbhadra (UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 dated 01/08/2022.

Respected Sir,

Kindly refer to the above mention subject I am hereby submitting the compliance report of the issued Consent to Operate for Stone Crusher M/S Maa Shitala Stone (Stone Crusher) located at Arazi No. 139MI, 138MI, 135/2MI, 137, Village- Sonpur, Pargana- Bhagwat, Tehsil- Chunar, District- Mirzapur supported by the relevant documents.

Yours Faithfully,



M/S MAA SHITALA STONE (STONE CRUSHER)
Authorized Signatory

C.C. to-

1. Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra, U.P.

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 21/11/23
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

Yours Faithfully



M/s Maa Shitala (Stone Crusher)
Authorized Signatory

NOIDA TESTING LABORATORIES

(An ISO : 9001 : 2015, ISO 45001 : 2018 (OH&S) Certified & NABL Accredited Laboratory)
 MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

TEST CERTIFICATE

Test Report of Ambient Air Quality Analysis	Report Code AAQ-061123-01	Date of Issue 10/11/2023
--	------------------------------	-----------------------------

Issued To: **M/s Maa Shitala Stone (Stone Crusher)**
 Project Location: **Village- Sonpur, Pargana-Bhagwat, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur**

Sampling & Analysis Data

Sample Drawn By : NTL Representative
 Date of Sampling : 04 11 2023
 Sample Description : Ambient Air
 Sampling Plan & Procedure : SOP-AAQ 08
 Analysis Duration : 06 11 2023 to 10 11 2023
 Sampling Location : Crusher Site
 Average Flow Rate of SPM (m³ min) : 1.14
 Average Flow Rate of Gases (lpm) : 1.0
 Sampling Instrument Used : RDS (PM₁₀) FPS (PM_{2.5}) With Gaseous Attachment
 Weather Condition : Clear

TEST RESULT

S.No.	Parameter	Test Method	Results	Units	Limits as per Environment (Protection) Act.
1	Particulate Matter (PM ₁₀)	IS 5182 Part-XXIII	81.06	µg/m ³	100.0
2	Particulate Matter (PM _{2.5})	IS 5182 Part-XXIV	46.12	µg/m ³	60.0
3	Sulphur dioxide (SO ₂)	IS 5182 Part-II	10.27	µg/m ³	80.0
4	Nitrogen dioxide (NO ₂)	IS 5182 Part-VI	21.40	µg/m ³	80

Notes:

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- The test samples will be disposed of after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

Checked by
 CHECKED BY

Authorized Signatory
 AUTHORIZED SIGNATORY

Laboratory : GT-20, Sector-117, NOIDA, Gautam Budh Nagar - 201301
 Branch Office :
 HARIDWAR | RUDRAPUR | CHANDIGARH | DEHRADUN | PUNE
 E.: noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W.: www.noidalabs.com

NOIDA TESTING LABORATORIES

(A Government of India Approved Testing Laboratory)

(An ISO : 9001 : 2015, ISO 45001 : 2018 (OH&S) Certified & NABL Accredited Laboratory)

MoEF & CC (Ministry of Environment, Forest & Climate Change), UPPCB Recognized Laboratory

+91-9313611642, 8510081921, 7503031145, 8527870572, 7503031146, 9999794369

TEST CERTIFICATE

Test Report of Ambient Noise	Report Code AN-061123-02	Date of Issue 10/11/2023
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Issued To: M/s Maa Shitala Stone (Stone Crusher)
Project Location: Village- Sonpur, Pargana-Bhagwat, Tehsil- Chunar, District-Mirzapur

SAMPLING & ANALYSIS DATA

Sample Drawn On : 04/11/2023
Sample Drawn By : NTL Representative
Sample Location : Near Crusher Site
Sample Received On : 06/11/2023
Sample description : Ambient Noise
Sampling Time : 24hrs

TEST RESULT

S. No	Test Parameters	Results	Units	Requirement (as per CPCB Guidelines Limits in dB (A) Leq		
				Category of Area/ Zone	Day Time	Night Time
1	EQUIVALENT NOISE LEVEL (6.0 AM TO 10.0 PM)	72.5	dB(A)	Industrial Area	75	70
				Commercial Area	65	55
2	EQUIVALENT NOISE LEVEL (10.0 PM TO 6.0 AM)	66.2	dB(A)	Residential Area	55	45
				Silence Zone	50	40

Notes:

- The results given above are related to the tested sample as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- Responsibility of the Laboratory is limited to the invoiced amount only.
- This test report will not be generated again, either wholly or in part, without prior written permission of the laboratory.
- The test samples will be disposed of after two weeks from the date of issue of test report, unless until specified by the customer.

Checked by
CHECKED BY

AUTHORIZED SIGNATORY

Laboratory : GT-20, Sector-117, NOIDA, Gautam Budh Nagar - 201301

Branch Office :

HARIDWAR | RUDRAPUR | CHANDIGARH | DEHRADUN | PUNE

E.: noida.laboratory@gmail.com, info@noidalabs.com W: www.noidalabs.com



Maa shitla Stone <maashitalastone@gmail.com>

Compliance Response of the notice dated: 12/01/2024

1 message

Maa shitla Stone <maashitalastone@gmail.com>
To: ms@uppcb.in
Cc: dmmir@nic.in

Thu, Feb 8, 2024 at 8:11 PM

To, Dated: 08/02/2024
Regional Officer ,
Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)
Sonbhadra, U.P.

Subject :

Compliance Response of Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) Under Section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution Act, 1974 And Under Section 21 of The Air (Prevention & Control Of Pollution) Act, 1981.

Respected Sir,

Kindly refer to the above mention subject , I am hereby submitting the Compliance Response of the issued Consent to Operate for Stone Crusher M/s Maa Shitala Stone (Stone Crusher Unit), Village-Sonpur, Bhagwat, Chunar, Mirzapur.

 **Compliance Responce of the Notice dated 12.01.2024.pdf**
19849K





MAA SHITALA STONE

Cutting | Polishing | Manufacturer & Supplier of Mirzapur Sand Stone | Government Contractor

📍 Sonepur, Ahraura, Chunar Road, Mirzapur - U.P. 📞 9415270072, 9838750580
✉️ maashitalastone@gmail.com 🌐 www.maashitalastone.com

05/02/2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

Date :

विषय: मे० माँ शीतला स्टोन(स्टोन क्रशर युनिट), ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर को जारी कारण बताओ नोटिस संदर्भ संख्या-एच०५६७९/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड मुख्यालय के संदर्भ संख्या-एच०५६७९/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त क्रशर प्लांट का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-२८.१२.२०२३ से दिनांक-३०.१२.२०२३ के मध्य किया गया तथा पाया गया कि उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत समिति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन एं क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं त स्थापित नहीं पायी गयी। तत्क्रम में उद्योग को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ यथासंशोधित की धारा ३१-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

महोदय आपको अवगत कराना है कि उद्योग परिसर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित कर ली गयी हैं। प्रक्रिया उत्सर्जन से होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्पिंकलर एवं एंटी स्मॉग गन स्थापित किया गया है, जिसका नियमित संचालन किया जाता है। उद्योग परिसर के चारों तरफ विण्ड ब्रेकिंग वॉल, टिन शेड से कवर्ड किया जाना एवं ग्रीन बेल्ट का समुचित विकास किया गया है, जिस संबंध में नोटिरियल शपथ-पत्र संलग्न है। उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है तथा अनुपालन आख्या कार्यालय में जमा कराया जाता है।

अतः निवेदन है कि उक्त के दृष्टिगत उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मिथिलेश सिंह)

प्र० मे० माँ शीतला स्टोन, मीरजापुर

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-२), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ निक्षेप करने की कृपा करें।

(मिथिलेश सिंह)



MAA SHITALA STONE

Cutting | Polishing | Manufacturer & Supplier of Mirzapur Sand Stone | Government Contractor

📍 Sonepur, Ahraura, Chunar Road, Mirzapur - U.P. 📞 9415270072, 9838750580
✉️ maashitalastone@gmail.com 🌐 www.maashitalastone.com

सेवा में,

Date :

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

विषय: मे० माँ शीतला स्टोन(स्टोन क्रशर युनिट), ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर को जारी कारण बताओ नोटिस संदर्भ संख्या-एच०५६७९/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड मुख्यालय के संदर्भ संख्या-एच०५६७९/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त क्रशर प्लांट का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-२८.१२.२०२३ से दिनांक-३०.१२.२०२३ के मध्य किया गया तथा पाया गया कि उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत समिति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी। तत्क्रम में उद्योग को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ यथासंशोधित की धारा ३१-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

महोदय आपको अवगत कराना है कि उद्योग परिसर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित कर ली गयी हैं। प्रक्रिया उत्सर्जन से होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्पिंकलर एवं एंटी स्मॉग गन स्थापित किया गया है, जिसका नियमित संचालन किया जाता है। उद्योग परिसर के चारों तरफ विण्ड ब्रेकिंग वॉल, टिन शेड से कवर्ड किया जाना एवं ग्रीन बेल्ट का समुचित विकास किया गया है, जिस संबंध में नोटिफिकेशन शपथ-पत्र संलग्न है। उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है तथा अनुपालन आख्या कार्यालय में जमा कराया जाता है।

अतः निवेदन है कि उक्त के दृष्टिगत उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मिथिलेश सिंह)

प्र० मे० माँ शीतला स्टोन, मीरजापुर

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-२), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ निक्षेप करने की कृपा करें।

(मिथिलेश सिंह)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GS 915702

शपथ-पत्र

समक्ष

क्षेत्रीय अधिकारी

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

Ticket Rs. 10.00

Ranjeet Singh
Notary - Sonbhadra

मैं मिथिलेश सिंह पुत्र श्री राम चरित्तर सिंह, उम्र 45 वर्ष, ग्राम-अदलपुरा, थाना व तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर(उ०प्र०) का मूल निवासी हूँ। मेसर्स माँ शीतला स्टोन(स्टोन क्रशर युनिट), सोनपुर, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर का प्रोपराइटर हूँ। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच०५६७९/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। निर्गत कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में विन्दुवार प्रति उत्तर निम्नवत है:-

1. Industry has Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers.
2. Industry has Arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyers.
3. Industry has All opening provided for ventilation in the enclosures covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
4. Industry has Covering of all belt conveyers.
5. Industry has Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering and truck loading the product, for controlling 'stone dust' and the reject, 'fine dust'.
6. Industry has A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall.
7. Industry has Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipment's and transfer points.
8. Industry has the metal roads inside the stone crusher premises with arrangement for regular cleaning inside the premises to avoid re-entrainment of settled dust.
9. Industry has Regular wetting of the ground through tanker mounted sprinklers/ smog guns within the premises.
10. Industry has Dense Green belt along the boundary wall.

कमश:.....२/.....पर



2864
109

1634

मां शीतल दत्त दौलत उदरौ मेळण।

[Faint, illegible text]

अजय कुमार सिन्हा स्टाम्प वेडर
कलेक्ट्री कचहरी, मीरजापुर
लाइसेंस नं-17
26.9.24

11. Indust
encl
12. Inc
13

[Handwritten signature inside an oval]

[Handwritten signature]
2.2.24

Mithlesh Singh
was identified by shri Paras
appeared before me on 2.2.24
and stated that he
understands the contents mentioned in
the affidavit. Which ar-
ree, I administered oath to him



[Handwritten signature]
Notary
Rajjeet Singh

[Handwritten signature]

(2)

11. Industry has the dust extraction system installed by the stone crushers at dust containment enclosures to extract the accumulated dust fitted with adequate dust control system.
12. Industry has the arrangements to minimize the generation of dust emissions during loading, unloading, handling and storage of raw material / products, waste or byproducts.
13. Industry has Arrangement of Covering while transportation and storage of final product / material.
14. Industry has the stretches of the main highways passing in the vicinity of the stone crushers area are metalled
15. Industry has the approach and link roads in the stone crushers area are metalled.
16. Industry has Quarterly Ambient Air Monitoring through third party.
17. Industry has maintain logbook of consumed electricity for measurement of quantity of water consumption.

महोदय आपसे निवेदन है कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.01.2024 को निरस्त करने की कृपा करें। मेरे द्वारा उपरोक्त क्र०सं० 01 से 17 तक पर दी गयी सूचनाये पूर होशोंहवाश मे दी गयी है तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक-30.01.2024



ह० शपथग्राही

(मिथिलेश सिंह)

मे० माँ शीतला स्टोन(स्टोन क्रशर युनिट)
मीरजापुर



क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD,
SONBHADRA

संदर्भ सं० जी०० १६ /०११०.५२१/५८/२०२४

दिनांक-०८.०२.२०२४

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-२)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-१२ वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय: मेसर्स माँ शीतला स्टोन(स्टोन क्रशर युनिट),ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१(यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या का प्रेषण।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच०५६७९/सी-२/एन०जी० टी०-६७/एस०सी०एन०/२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९८१ (यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी है एवं अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देशों के साथ पृष्ठांकित है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-०८.०२.२०२४ को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में सादर अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किये बिना संचालित है तथा उद्योग द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तत्क्रम में उद्योग को राज्य बोर्ड से जारी सहमति आदेश दिनांक-०१.०८.२०२२ को इस कार्यालय के पत्र दिनांक-०८.०२.२०२४ द्वारा रिवोक किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस पत्र के साथ संलग्न विस्तृत निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स-माँ शीतला स्टोन(स्टोन क्रशर युनिट), ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९८१ (यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक-१२.०१.२०२४ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है तथा उद्योग पर १४६ दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू० ०९,१२,५००.०० (नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय


(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या १६२ उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल), राबर्ट्सगंज, सोनभद्र-२३१२१६

House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel) Robertsganj, Sonbhadra-231216

Email-rosombhadra@uppcb.in



मेसर्स माँ शीतला स्टोन (स्टोन क्रशर यूनिट), ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या:-

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-HO5679/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। अग्रेतर उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त है। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त उद्योग ग्राम व पोस्ट-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के आराजी संख्या-139मि0, 138मि0, 135/2मि0 एवं 137 पर होना सूचित है। उद्योग का जिओ को-आर्डिनेट्स **25.051633** -अक्षांश एवं **83.002939**-देशान्तर है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्टर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन गिट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन गिट की उत्पादन क्षमता 200 टन/घण्टा सूचित है। उक्त उद्योग संचालन की अवस्था में पाया गया।
3. निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा-प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर आंशिक कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा-कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर कैनवास क्लथ/टेलिस्कोपिक सूट की स्थापना निरीक्षण के समय नहीं पायी गयी।



4. उद्योग में कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। वॉटर स्प्रींकलिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया, किन्तु वॉटर मीटर का सतत् संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लॉगबुक का रख-रखाव नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी।
5. उद्योग परिसर में मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण नहीं पाया गया।
6. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया, किन्तु राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक-16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तों के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी।

(Handwritten signature)

क्रमशः 2/पर....



(2)

7. उद्योग में विद्युत आपूर्ति हेतु 500 केवीए0 क्षमता का एक अदद डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु इक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी।
8. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उद्योग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से सहमति शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जाना परिलक्षित होता है।
9. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में समिति द्वारा किया गया था। समिति की आख्यानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना उद्योग संचालित किये जाने एवं सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-HO5679/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
10. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.01.2024 के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ है, जो संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।
11. उद्योग द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश (जल एवं वायु) दिनांक-01.08.2022 में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उक्त उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0-155660/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-01.08.2022 द्वारा जारी सहमति आदेश को रिवोक इस कार्यालय के पत्र दिनांक-08.02.2024 द्वारा किया जा चुका है।
12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक-19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 के अनुसार उद्योग पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित किये बिना संचालित पाया गया। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023, दिनांक-29.12.2023 एवं दिनांक-30.12.2023 को किया गया। तत्सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.01.2024 के अनुसार उद्योग सहमति शर्तों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त प्रकरण में उद्योग के उत्पादन कार्य को बन्द कर उद्योग की मशीनरी को दिनांक-23.08.2023 को सील किया गया था। उक्त के पश्चात् उद्योग के उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिनांक-02.11.2023 को राज्य बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप 72 दिनों की अवधि में उद्योग का उत्पादन कार्य बन्द होने का तथ्य प्रकाश में आया है। इस प्रकार जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक-08.02.2024 तक अर्थात् 218 दिनों तक की अवधि में से 72 दिनों की उत्पादन कार्य बन्द होने की अवधि को छोड़कर अवशेष 146 दिनों की अवधि को डिफाल्टर अवधि में गणना किया जाना उचित है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक-08.02.2019 के अनुसार के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 146 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).



क्रमशः 2/पर....



(2)


Where,

PI=50 (Pollution Index=50 for orange category unit)**N =146** (No. of days from which the non-compliance has been observed)**R = 250** (R factor in Rupees)**S = 0.5** (Factor for scale of operation=**0.5** as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)**LF=1.0** (Location Factor= **1.0** as population of Vill. Sonpur, Bhagautidei, Chakjata etc., Chunar, Mirzapur is below 10 lac. (LF is 1.0 for population less than 10 lac)

Therefore,

$$\begin{aligned}
 \text{Environmental Compensation(EC)} &= \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF} \\
 &= 50 \times 146 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 \\
 &= \text{Rs. 9,12,500/- (Rs. Nine Lacs twelve thousand five hundred) only.}
 \end{aligned}$$

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स माँ शीतला स्टोन (स्टोन क्रशर यूनिट), ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-HO5679/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर उपरोक्त गणनानुसार उद्योग पर 146 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 9,12,500.00 धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।


 08/02/2024
 (यूके0 गुप्ता)
 क्षेत्रीय अधिकारी

